

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 262/2025

गोदू राम चौधरी

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
4. उप/सहायक निदेशक/अधीक्षक, आईटीआई, धोरीमन्ना, बाडमेर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 24.01.2025
आदेश की दिनांक : 28.01.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता
प्रत्यर्था विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 25.08.2023 के द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक के रूप में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में परिवीक्षाधीन एवं प्रशिक्षणार्थी है। अपीलार्थी का आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी जो धोरीमन्ना से बडगांव किया है।
3. अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलार्थी की परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं हुई है ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।
5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने D.B. Spl. Appl. Writ No. 601/2024 Monika V/s State of Raj में दिनांक 16.07.2024 को पारित आदेश में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :-

"There is no law of universal application that a probationer cannot be transferred from one place to another during the period of probation. Rather, this is in the interest of the probationer and the department that a probationer has varied experience while working at different places within the State."

6. ऐसा कोई नियम हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता हो। अपीलार्थी के स्थानांतरण में कोई विधि-विरुद्धता होना नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता पर निर्भर करता है कि किसी कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।
7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रार्थना-पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)